भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1407**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नकली रत्न और जेवर परीक्षण प्रयोगशाला

1407. श्री एम. के. राघवन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में चल रहे नकली रत्न एवं आभूषण परीक्षण प्रयोगशालाओं की बढ़ती संख्या से अवगत है;
(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान चिह्नित की गई उक्त प्रयोगशालाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारत में रत्न परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के लिए कोई नियामक प्राधिकरण उत्तरदायी है;
(घ) यदि हाँ, तो मान्यता प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार धोखाधड़ी वाली प्रयोगशालाओं को संचालित होने से रोकने के लिए इसे सुदृढ़ करने हेतु कदम उठा रही है;
(ङ) क्या सरकार के पास देश में संचालित अधिकृत रत्न एवं आभूषण परीक्षण प्रयोगशालाओं के संबंध में आँकड़े हैं; और
(च) यदि हाँ, तो केरल के संबंध में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की प्रयोगशालाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और(ख) देश में नकली रत्न एवं आभूषण परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन की कोई घटना इस मंत्रालय के संज्ञान में नहीं लाई गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल), इस मंत्रालय के अधीन, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत, एक स्वायत्त

निकाय है। यह एक प्रत्यायन निकाय है और एक विनियामक प्राधिकरण नहीं है, जिसका अधिदेश देश में परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान करना है जिसमें रत्न एवं आभूषण प्रयोगशालाएं शामिल है। एनएबीएल प्रत्यायन स्वैच्छिक प्रकृति का है।

एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवेदन दस्तावेज़ की समीक्षा, तकनीकी योग्यता की जाँच और पूर्व-मूल्यांकन जैसे चरण शामिल हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो आवेदक को सूचित किया जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। परिणामों के आधार पर, मान्यता प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

(ड.) और (च) दिनांक 22.07.2025 तक देश में तीन एनएबीएल प्रत्यायित रत्न परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से दो प्रयोगशालाएं मुंबई में और एक नई दिल्ली में स्थित हैं।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1407**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नकली रत्न और जेवर परीक्षण प्रयोगशाला

1407. श्री एम. के. राघवन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में चल रहे नकली रत्न एवं आभूषण परीक्षण प्रयोगशालाओं की बढ़ती संख्या से अवगत है;
(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान चिह्नित की गई उक्त प्रयोगशालाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारत में रत्न परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के लिए कोई नियामक प्राधिकरण उत्तरदायी है;
(घ) यदि हाँ, तो मान्यता प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार धोखाधड़ी वाली प्रयोगशालाओं को संचालित होने से रोकने के लिए इसे सुदृढ़ करने हेतु कदम उठा रही है;
(ङ) क्या सरकार के पास देश में संचालित अधिकृत रत्न एवं आभूषण परीक्षण प्रयोगशालाओं के संबंध में आँकड़े हैं; और
(च) यदि हाँ, तो केरल के संबंध में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की प्रयोगशालाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और(ख) देश में नकली रत्न एवं आभूषण परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन की कोई घटना इस मंत्रालय के संज्ञान में नहीं लाई गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल), इस मंत्रालय के अधीन, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत, एक स्वायत्त

निकाय है। यह एक प्रत्यायन निकाय है और एक विनियामक प्राधिकरण नहीं है, जिसका अधिदेश देश में परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान करना है जिसमें रत्न एवं आभूषण प्रयोगशालाएं शामिल है। एनएबीएल प्रत्यायन स्वैच्छिक प्रकृति का है।

एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवेदन दस्तावेज़ की समीक्षा, तकनीकी योग्यता की जाँच और पूर्व-मूल्यांकन जैसे चरण शामिल हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो आवेदक को सूचित किया जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। परिणामों के आधार पर, मान्यता प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

(ड.) और (च) दिनांक 22.07.2025 तक देश में तीन एनएबीएल प्रत्यायित रत्न परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से दो प्रयोगशालाएं मुंबई में और एक नई दिल्ली में स्थित हैं।

*****